हरियाणा सरकार

वास्तुकला विभाग

अधिसूचना

दिनांक 20 अप्रैल, 1990

सं० सा० का० नि०/संवि०/अनु० 44309/90.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा हरियाणा वास्तुक विभाग (वर्ग-ग) सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

भाग I—सामान्य

1. ये नियम हरियाणा वास्तुकला विभाग (वर्ग-ग) सेवा नियम, 1990 कहे जा सकते हैं। संक्षिप्त नाम।

2. इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :— परिभाषाएं।

(क) "बोर्ड" से अभिप्राय है, अधीनस्थ सेवायें प्रवरण; बोर्ड, हरियाणा

(ख) "मुख्य वास्तुक" से अभिप्राय है, वास्तुकला विभाग, हरियाणा का मुख्य वास्तुक ;

(ग) "सीधी भर्ती" से अभिप्राय है, कोई भी नियुक्ति, जो सेवा में से पदोन्नति या भारत सरकार की या किसी राज्य सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी पदधारी के स्थानान्तरण से अन्यथा की गई हो ;

(घ) "सरकार" से अभिप्राय है, प्रशासनिक विभाग में हरियाणा सरकार।

(ङ) "संस्था" से अभिप्राय है" —

(i) हरियाणा राज्य में लागू कानून द्वारा स्थापित कोई संस्था ; अथवा

(ii) सरकार द्वारा इन नियमों के प्रयोजन के लिये मान्यताप्राप्त कोई अन्य संस्था ;

(च) "मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय" से अभिप्राय है :—

(i) भारत में विधि द्वारा निगमित कोई विश्वविद्यालय ;

(ii) 15 अगस्त, 1947, से पूर्व हुई परीक्षा के परिणाम-स्वरूप प्राप्त उपाधि, उपाधि-पत्र (डिप्लोमा) या प्रमाण-पत्र की दशा में पंजाब, सिंध या ढाका विश्वविद्यालय ; या

(iii) कोई अन्य विश्वविद्यालय, जो इन नियमों के प्रयोजनार्थ सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय घोषित किया गया हो ;

(छ) "सेवा" से अभिप्राय है, हरियाणा वास्तुकला विभाग में (वर्ग-ग) सेवा।

भाग II—सेवा में भर्ती

पदों की संख्या तथा उनका स्वरूप।

3. सेवा में इन नयमों के परिशिष्ट "क" में बताये गये पद होंगे :

परन्तु इन नियमों की कोई भी बात ऐसे पदों की संख्या में वृद्धि या कमी करने या विभिन्न पदनामों और वेतनमानों वाले स्थायी अथवा अस्थायी रूप से बनाने के सरकार के अन्तर्निहित अधिकारी पर प्रभाव नहीं डालेगी।

सेवा में भर्ती किये गये उम्मीदवारों की राष्ट्रिकता, अधिवास तथा चरित्र।

4. (1) कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि वह निम्नलिखित न हो,—

(क) भारत का नागरिक ; या

(ख) नेपाल की प्रजा ; या

(ग) भूटान की प्रजा ; या

(घ) तिब्बत का शरणार्थी, जो पहली जनवरी, 1962 से पहले भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से आया हो ; या

(ङ) भारतीय मूल का व्यक्ति, जो पाकिस्तान, बर्मा, श्री लंका तथा कीनिया, यूगांडा, तंजानिया के संयुक्त गणराज्य (भूतपूर्व टांगानिका और जंजीबार), जांबिया, मलावी, जायरे और ईथोपिया के किसी पूर्वी अफ्रीका देश से प्रवासित होकर भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से आया हो :

परन्तु प्रवर्ग (ख), (ग), (घ) तथा (छ) से सम्बन्धित किसी प्रवर्ग का ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किया गया है।

(2) कोई भी व्यक्ति, जिसकी दशा में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, बोर्ड या किसी अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा संचालित परीक्षा या साक्षात्कार के लिये प्रविष्ट किया जा सकता है किन्तु नियुक्ति का प्रस्ताव उसे सरकार द्वारा आवश्यक पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किये जाने के बाद ही दिया जा सकता है।

(3) कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक कि वह अन्तिम उपस्थिति के विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था के, यदि कोई हो, प्रधान शैक्षणिक अधिकारी से चरित्र प्रमाणपत्र और दो ऐसे अन्य

जिम्मेदार व्यक्तियों से, जो उसके सम्बन्धी न हों, किन्तु उसके व्यक्तिगत जीवन से भली-भांति परिचित हों और जो उसके विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था से सम्बन्धित न हों, उसी प्रकार से प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करे।

5. कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जायेगा जो बोर्ड को या किसी अन्य भर्ती प्राधिकरण को आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि से ठीक पहले अगस्त के प्रथम दिन को या उससे पहले 17 वर्ष की आयु से कम या तीस वर्ष की आयु से अधिक का हो। आयु।

6. सेवा में पदों पर नियुक्तियां मुख्य वास्तुक द्वारा की जायेंगी। नियुक्ति प्राधिकारी।

7. कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि वह सीधी भर्ती की दशा में, इन नियमों के परिशिष्ट "ख" के खाना 3 में विनिर्दिष्ट तथा सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति की दशा में उपर्युक्त परिशिष्ट के खाना-4 में विनिर्दिष्ट अर्हताएं तथा अनुभव न रखता हो : अर्हताएं।

परन्तु सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति की दशा में अनुभव सम्बन्धी अर्हताओं में बोर्ड या अन्य भर्ती प्राधिकरण के विवेक पर 50 प्रतिशत सीमा तक ढील दी जा सकेगी यदि अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा शारीरिक रूप के विकलांग उम्मीदवारों में अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों की संख्या उन के लिये आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिये उपलब्ध न हो। ऐसा करने के लिये लिखित रूप में कारण दिये जायेंगे।

8. कोई भी व्यक्ति :— निरर्हताएं।

(क) जिसने जीवित पति/पत्नी वाले व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है ; या

(ख) जिसने पति/पत्नी के जीवित होते हुये किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है, सेवा में किसी भी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि सरकार की सन्तुष्टि हो जाये कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीय विधि के अधीन ऐसा विवाह अनुज्ञेय है तथा ऐसा करने के अन्य आधार भी हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के लागू होने से छूट दे सकती है।

9. (1) सेवा में भर्ती निम्नलिखित ढंग से की जायेगी :— भर्ती का ढंग।

(क) अधीक्षक की दशा में :—

(i) सहायकों या वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों के पदों में से पदोन्नति द्वारा ; या

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण द्वारा ।

(ख) सहायक की दशा में :—

(i) आशुटंककों या लिपिकों में से पदोन्नति द्वारा ; या

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार में कार्यरत किसी कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण द्वारा ।

(ग) वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों की दशा में :—

(i) कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों में से पदोन्नति द्वारा ;

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार में पहले से कार्यरत किसी कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण द्वारा।

(घ) कनिष्ठ वेतनमान आलशुलिपिकों की दशा में :—

(i) आशु टंककों में से पदोन्नति द्वारा ; या

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार में पहले से कार्यरत कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ।

(ङ) आशु टंककों की दशा में :—

(i) लिपिकों में से 20 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा ; और

(ii) 80 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा ; या

(iii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार में पहले से कार्यरत कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ।

(च) लिपिकों की दशा में :—

(i) डुप्लीकेटिंग मशीन आप्रेटर, रैस्टोरर या ग्रुप-घ के कर्मचारियों में से 20 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा ; और

(ii) 80 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा ; या

(iii) किसी भी राज्य सरकार या भारत सरकार में पहले से कार्यरत कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ।

(छ) चालक की दशा में :—

(i) डुप्लीकेटिंग मशीन आप्रेटर, रैस्टोरर या ग्रुप-घ के कर्मचारियों में से 20 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा ; और

(ii) 80 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा ; या

(iii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार में कार्यरत किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ।

(ज) डुप्लीकेटिंग मशीन आप्रेटर की दशा में :—

(i) दफ्तरी या जमादारों में से पदोन्नति द्वारा ; या

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार में पहले से कार्यरत कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ।

(झ) रैस्टोरर की दशा में :—

(i) दफ्तरी या जमादारों में से पदोन्नति द्वारा ; या

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार में पहले से कार्यरत कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ।

(2) सभी पदोन्नतियां जब तक अन्यथा उपबन्धित न हों, ज्येष्ठता एवं योग्यता के आधार पर की जायेंगी और केवल ज्येष्ठता, ऐसी पदोन्नतियों के लिये किसी प्रकार का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी ।

परिवीक्षा।

10. (1) सेवा में किसी भी पद पर नियुक्त व्यक्ति, यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो, तो दो वर्ष की अवधि के लिये, और यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो, तो एक वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रहेगा :

(क) परन्तु ऐसी नियुक्ति के बाद किसी अनुरूप या अच्चतर पद पर प्रतिनियुक्ति पर व्यतीत की गई कोई अवधि परिवीक्षा की अवधि में गिनी जायेगी ;

(ख) स्थानान्तरण द्वारा किसी नियुक्ति की दशा में, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति से पहले किसी समकक्ष अथवा उच्चतर पद पर किये गये कार्य की कोई अवधि, नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर इस नियम के अधीन नियत परिवीक्षा की अवधि की ओर गिनने दी जा सकती है ; और

(ग) स्थानापन्न नियुक्ति की कोई अवधि, परिवीक्षा पर व्यतीत की गई अवधि के रूप में गिनी जायेगी किन्तु कोई भी व्यक्ति जिसने ऐसे स्थानापन्न रूप में कार्य किया है, परिवीक्षा की निर्धारित विहित अवधि पूरी होने पर, यदि वह किसी स्थायी पद पर नियुक्त न किया गया हो, पुष्ट किये जाने का हकदार नहीं होगा ।

(2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में परिवीक्षा की अवधि के दौरान किसी व्यक्ति का कार्य या आचरण सन्तोषजनक न रहा हो तो यह,—

(क) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो उसे उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है ; और

(ख) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो,—

(i) उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है ; या

(ii) उसके सम्बन्ध में किसी ऐसी रीति में कार्यवाही कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धन और शर्तों के अनुसार हो ।

(3) किसी व्यक्ति की परिवीक्षा अवधि पूरी होने पर, नियुक्ति प्राधिकारी,—

(क) यदि उसकी राय में उसका कार्य तथा आचरण संतोषजनक रहा हो तो,—

(i) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह स्थायी रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो तो उसकी नियुक्ति की तिथि से पुष्ट कर सकता है ; या

(ii) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह किसी अस्थायी रिक्ति पर नियुक्त किया गया है, स्थायी रिक्ति होने की तिथि से पुष्ट कर सकता है ; या

(iii) यदि कोई स्थायी रिक्ति न हो, तो घोषित कर सकता है कि उसने अपनी परिवीक्षा अवधि संतोषजनक ढंग से पूरी कर ली है ; या

(ख) यदि उसका कार्य या आचरण उसकी राय में संतोषजनक न रहा हो तो,—

(i) यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो उसे सेवा से अलग कर सकता है, यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो, उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है या उसके संबंध में ऐसी अन्य रीति में कार्यवाई कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबंधन तथा शर्तों के अनुसार हो ; या

(ii) उसकी परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकता है और उसके बाद ऐसे आदेश पारित कर सकता है तो वह परिवीक्षा की प्रथम अवधि की समाप्ति पर कर सकता था :

परन्तु परिवीक्षा की कुल अवधि, जिसमें बढ़ाई गई अवधि भी, यदि कोई हो, शामिल है, तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

11. सेवा के सदस्यों की परस्पर ज्येष्ठता किसी भी पद पर उनके लगातार सेवा काल के अनुसार निश्चित की जायेगी :

परन्तु जहां सेवा में विभिन्न संवर्ग हैं, वहां प्रत्येक संवर्ग के लिये ज्येष्ठता पृथक् रूप से निश्चित की जायेगी :

परन्तु यह और कि सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में ज्येष्ठता नियत करते समय बोर्ड, या किसी अन्य भर्ती प्राधिकरण जैसी स्थिति हो, द्वारा निश्चित योग्यता क्रम को भंग नहीं किया जायेगा :

परन्तु यह और कि एक ही तिथि को नियुक्त दो या दो से अधिक सदस्यों की दशा में उनकी ज्येष्ठता निम्नलिखित रूप से निश्चित की जायेगी :—

(क) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्य, पदोन्नतिया स्थानांतरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा ;

(ख) पदोन्नति द्वारा नियुक्त सदस्य, स्थानांतरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा ;

(ग) पदोन्नति द्वारा अथवा स्थानांतरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की स्थिति में ज्येष्ठता ऐसी नियुक्तियों में ऐसे सदस्यों की ज्येष्ठता के अनुसार निश्चित की जायेगी, जिनसे वे पदोन्नत या स्थानांतरित किये गये थे ; और

(घ) विभिन्न संवर्गों से स्थानांतरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में उनकी ज्येष्ठता वेतन के अनुसार निश्चित की जायेगी । अधिमान ऐसे सदस्यों को दिया जायेगा जो अपनी पहले की नियुक्ति में उच्चतर पद पर वेतन ले ही रहा था और यदि मिलने वाले वेतन की दर भी समान हो तो उनकी नियुक्तियों में उनके सेवाकाल के अनुसार, और यदि सेवाकाल भी समान हो तो आयु में बड़ा सदस्य छोटे सदस्य से ज्येष्ठ होगा ।

12. (1) सेवा का कोई भी सदस्य, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा हरियाणा राज्य में अथवा उनके बाहर किसी भी स्थान पर सेवा करने के लिये आदेश दिये जाने पर ऐसा करने के लिये दायी होगा । सेवा करने का दायित्व ।

(2) सेवा के किसी सदस्य को सेवा के लिये निम्नलिखित के अधीन भी प्रति-नियुक्त किया जा सकता है :—

(i) कोई कम्पनी, संगम, या व्यष्टि निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण अथवा अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण राज्य सरकार के पास है या हरियाणा राज्य के भीतर, नगर निगम या स्थानीय प्राधिकरण अथवा विश्वविद्यालय ;

(ii) केंद्रीय सरकार या ऐसी कम्पनी, संगम या व्यष्टि निकाय वाले वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण केंद्रीय सरकार के पास हो ; या

(iii) कोई अन्य राज्य सरकार, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, स्वायत्त निकाय जिसका नियंत्रण सरकार के पास न हो अथवा गैर-सरकारी निकाय :

परन्तु सेवा के किसी भी सदस्य को उसकी सहमति के बिना खण्ड (ii) तथा (iii) में निर्दिष्ट केंद्रीय या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी संगठन या निकाय की सेवा के अधीन प्रतिनियुक्त नहीं किया जायेगा ।

वेतन, छुट्टी, पेंशन तथा अन्य मामले ।

13. वेतन, छुट्टी, पेंशन तथा सभी अन्य मामलों के सम्बन्ध म, जिनका इन नियमों में स्पष्ट रूप से उपबन्ध नहीं किया गया है, सेवा के सदस्य ऐसे नियमों तथा विनियमों द्वारा नियंत्रित होंगे जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा भारत के संविधान के अधीन अथवा राज्य विधान मण्डल द्वारा बनाई गई तथा उस समय लागू किसी विधि के अधीन अपनाए गये या बनाए गये हों अथवा इसके बाद अपनाएं या बनाए जाएं ।

अनुशासन, शास्तियां तथा अपील ।

14. (1) अनुशासन, शास्तियां तथा अपीलों से संबंधित मामलों में सेवा के सदस्य समय समय पर यथा संशोधित हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987 द्वारा नियंत्रित होंगे :

परन्तु ऐसी शास्तियों का स्वरूप जो लगाई जा सकती है ; ऐसी शास्तियां लगाने के लिये सशक्त प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन बनाई गई किसी विधि या नियमों के उपबन्धों में अधीन रहते हुये वे होंगे जो इन नियमों के परिशिष्ट "ग" में विनिर्दिष्ट हैं ।

(2) हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987 के नियम 10 के उप-नियम (1) के खण्ड (ग) तथा खण्ड (घ) के अधीन आदेश करने के लिये सक्षम प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी भी वही होगा जो इन नियमों के परिशिष्ट "घ" में विनिर्दिष्ट है ।

टीका लगवाना ।

15. सेवा का प्रत्येक सदस्य जब सरकार किसी विशेष या साधारण आदेश द्वारा ऐसा निर्देश करे, टीका लगवाएगा तथा पुन: टीका लगवाएगा ।

राजनिष्ठा की शपथ ।

16. सेवा के प्रत्येक सदस्य को जब तक उसने पहले ही भारत के प्रति तथा विधि द्वारा यथा स्थापित भारत के संविधान के प्रति राजनिष्ठा की शपथ न ले ली हो, ऐसा करने की अपेक्षा की जायेगी ।

ढील देने की शक्ति ।

17. जहां सरकार की राय में इन नियमों के किसी उपबन्ध में ढील देना आवश्यक या उचित हो, वहां यह कारण लिख कर आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग के बारे में ऐसा कर सकती है ।

18. इन नियमों में किसी बात के होते हुये भी नियुक्ति प्राधिकारी, यदि वह नियुक्ति आदेश में विशेष निबंधन तथा शर्तें लगाना उचित समझे तो वह ऐसा कर सकता है। विशेष उपबंध।

19. इन नियमों में दी गई कोई बात राज्य सरकार द्वारा इस सम्बंध में समय समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियां, पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा अन्य विकलांग व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग को दिये जाने वाले अपेक्षित आरक्षणों तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी : आरक्षण।

परन्तु इस प्रकार किये गये आरक्षणों की कुल प्रतिशतता किसी भी समय पच्चास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

20. सेवा पर लागू कोई नियम तथा इन नियमों में से किसी के अनुरूप कोई नियम, जो इन नियमों के आरम्भ से तुरन्त पहले लागू हों, इसके द्वारा निरसित किया जा सकता है : निरसन तथा व्यावृत्ति।

परन्तु इस प्रकार से निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई आदेश या की गई कोई कार्यवाई इन नियमों के अनुरूप उपबंधों के अधीन किया गया अथवा की गई समझी जायेगी।

परिशिष्ट क

(देखिये नियम 3)

क्रमांक	पद संज्ञा	पदों की संख्या		जोड़	वेतनमान
		स्थायी	अस्थायी		
1	2	3	4	5	6
					रुपये
1	अधीक्षक	2	..	2	2000--60--2300--75--2900--द०रो०--100--3500
2	सहायक	11	..	11	1400--40--1600--50--2300--द०रो०--60--2600
3	वरिष्ठ वेतनमान आशु-लिपिक	1	..	1	1400--40--1600--50--2300--द०रो०--60--2600
4	चालक	2	..	2	1200--30--1560--द०रो०--40--2040+200 रुपये विशेष वेतन
5	कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक	4	..	4	1200--30--1560--द० रो०--40--2040
6	आशुटंकक	7	..	7	950--20--1150--द० रो० 25--1500 + 100 रुपये विशेष वेतन
7	लिपिक	11	..	11	950--20--1150--द० रो०--25--1500
8	डुप्लीकेटिंग मशीन आप्रेटर	1	..	1	950--20--1150--द० रो०--25--1500
9	रैस्टोरर	1	..	1	950-20--1150--द०रो०--25--1500

परिशिष्ट ख

(देखिये नियम)

क्रमांक	पद संज्ञा	सीधी भर्ती के लिये शैक्षणिक अर्हताएं तथा अनुभाव, यदि कोई हो	सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति के लिये शैक्षणिक अर्हताएं तथा अनुभाव, यदि कोई हो।
1	अधीक्षक	..	सहायक/वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक के तौर पर 10 वर्ष का अनुभव हो, जिसमें सहायक के तौर पर वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक के मामले में 2 वर्ष का अनुभव।
2	सहायक	..	आशुटंक : या लिपिक के रूप में 3 वर्ष का अनुभव।
3	वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक	..	1. कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक के रूप में 3 वर्ष का अनुभव। 2. 120 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी लेखन तथा 25 शब्द प्रति मिनट की गति से उसकी प्रतिलेखन परीक्षा पास की हो। अथवा 3. 100 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी आशुलेखन और 20 शब्द प्रति मिनट की गति से उसकी प्रतिलेखन परीक्षा पास की हो।

क्रमांक	पद संज्ञा	सीधी भर्ती के लिये शैक्षणिक अर्हताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो	सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति के लिये शैक्षणिक अर्हताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो।
4	चालक	1. मैट्रिक हिन्दी सहित अथवा उसके समकक्ष।	1. मैट्रिक हिन्दी सहित अथवा उसके समकक्ष।
		2. 3 वर्ष के अनुभव सहित हल्के वाहनों को चलाने के लिये चालक लाईसेंस प्राप्त हो।	2. हल्के वाहनों को चलाने के लिये चालक लाइसेंस प्राप्त हो और साथ में डुप्लीकेटिंग मशीन आप्रेटर, रैस्टोरर, या ग्रुप "घ" कर्मचारी के रूप में 3 वर्ष का अनुभव।
5	कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक		1. आशुटंकक के रूप में 2 वर्ष का अनुभव।
			2. 100 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी आशुलिपिक लेखन और 15 शब्द प्रति मिनट की गति से उसकी प्रतिलेखन परीक्षा उत्तीर्ण की हो। अथवा 80 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी आशुलेखन और 15 शब्द प्रति मिनट की गति से उसके प्रतिलेखन की परीक्षा पास की हो।
6	आशुटंकक	1. मैट्रिक हिन्दी सहित अथवा उसके समकक्ष।	1. मैट्रिक हिन्दी सहित अथवा उसके समकक्ष।

1	2	3	4
		2. 80 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी आशु-लेखन और 15 शब्द प्रति मिनट की गति से उसका प्रतिलेखन ।	2. लिपिक के तौर पर 2 वर्ष का अनुभव ।
		अथवा	3. 80 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी आशु-लेखन तथा 15 शब्द प्रति मिनट की गति से उसके प्रतिलेखन में परीक्षा पास ।
			अथवा
		3. 64 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी आशु-लेखन और 11 शब्द प्रति मिनट की गति से उसका प्रतिलेखन	4. 64 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी आशु-लेखन और 11 शब्द प्रति मिनट की गति से उसका प्रतिलेखन ।
7	लिपिक	1. मैट्रिक हिन्दी सहित अथवा उसके समकक्ष ।	1. मैट्रिक हिन्दी सहित अथवा उसके समकक्ष ।
		2. अपनी भर्ती के एक वर्ष के अंदर 25 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी टंकण अथवा 30 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी टंकण की परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी अन्यथा उसे कोई वेतन वृद्धि नहीं दी जायेगी । जब वह टंकण परीक्षा उत्तीर्ण कर लेगा तो उसे टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने की तिथि से देय वेतन वृद्धियां दी जाएंगी किन्तु कोई बकाया उसे नहीं दिया जायेगा ।	2. रैस्टोरर, डुप्लीकेटिंग मशीन आप्रेटर अथवा वर्ग "घ" कर्मचारी के तौर पर 5 वर्ष का अनुभव ।

1	2	3	4
8	डुप्लीकेटिंग मशीन आप्रेटर		1. मैट्रिक हिन्दी सहित या उसके समकक्ष और साथ में दफ्तरी/जमादार के रूप में एक वर्ष का अनुभव । 2. मैट्रिक से कम शिक्षा प्राप्त हो तो दफ्तरी या जमादार के रूप में 3 वर्ष का अनुभव ।
9	रैस्टोरर		1. मैट्रिक अथवा इसके समकक्ष और साथ में दफ्तरी/जमादार के तौर पर एक वर्ष का अनुभव । 2. मैट्रिक से कम शिक्षा प्राप्त हो तो दफ्तरी/जमादार के तौर पर 3 वर्ष का अनुभव ।

परिशिष्ट ग

[देखिये नियम 14(1)]

क्रमांक	पद संज्ञा	नियुक्ति प्राधिकारी	शास्ति का स्वरूप	शास्ति लगाने के लिये सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी
1	2	3	4	5	6
			1 छोटी शास्तियां		
1	अधीक्षक	मुख्य वास्तुक	(i) वैयक्तिक फाईल (आचरण पंजी) पर रखते हुए चेतावनी ।	मुख्य वास्तुक	सरकार
2	सहायक		(ii) परिनिन्दा ।		
3	वरिष्ठ वेतनमान में आशुलिपिक		(iii) पदोन्नति रोकना ।		
4	चालक		(iv) उपेक्षा या आदेशों की उल्लंघन द्वारा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को या ऐसी कम्पनी तथा संगम तथा व्यष्टि निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं जिसका पूर्ण या		
5	कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक				

1	2	3	4	5	6	7
6	स्टैनो-टाईपिस्ट		अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण सरकार के पास है या संसद या राज्य विधान मण्डल के अधिनियम द्वारा स्थापित किसी स्थानीय प्राधिकरण या विश्वविद्यालय को हुई धन सम्बन्धी हानि की या उसके भाग की वेतन से वसूली			
7	लिपिक					
8	डुप्लीकेटिंग मशीन आप्रेटर					
9	रैस्टौरर		(v) वेतन वृद्धियां रोकना 2—बड़ी शास्तियां (vi) किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिये समयमान में निम्नतर प्रक्रम पर अवनति ऐसे अतिरिक्त निर्देशों सहित कि क्या सरकारी कर्मचारी ऐसी अवनति की अवधि के दौरान वेतन वृद्धियां अर्जित करेगा या नहीं और क्या ऐसी अवधि की समाप्ति पर, ऐसी अवनति उसकी भावी वेतन वृद्धियां स्थगित करने का प्रभाव रखेंगी या नहीं।			

1	2	3	4	5	6
			(vii) निम्नतर वेतनमान, ग्रेड पद या सेवा पर ऐसी अवनति जो सरकारी कर्मचारी के उस समय वेतनमान, ग्रेड पद या सेवा पर, जिससे अवनत किया गया था, पदोन्नति के लिये साधारणतः रोक होगी, ऐसा जिस ग्रेड अथवा पद अथवा सेवा से सरकारी कर्मचारी अवनत किया गया था उस पर बहाली सम्बन्धी और उसकी ज्येष्ठता तथा उस ग्रेड, पद या सेवा पर वेतन के बारे में शर्तों सम्बन्धी अतिरिक्त निर्देशों के साथ या उसके बिना होगा ।		
			(viii) अनिवार्य सेवा निवृत्ति ।		
			(ix) सेवा से हटाया जाना जो सरकार के अधीन नियोजन के लिये निरर्हता नहीं होगी ।		
			(x) सेवा से पदच्युति जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिये सामान्यतः निरर्हता होगी ।		